

सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय कर के
मुख्य आयुक्त का कार्यालय, विशाखापट्टणम क्षेत्र
प्रथम तल, जीएसटी भवन, पोर्ट क्षेत्र,
विशाखापट्टणम - 530035

Office of the Chief Commissioner,
Customs & Central Tax, Visakhapatnam Zone
1st Floor, GST Bhavan, Port Area,
Visakhapatnam - 530035

(P): 0891-2568837 (F) 0891-2561942

ccu-cexvzg@nic.in

स्थापना आदेश (राजपत्रित) सं.15/2023 (प्रशासनिक अधिकारी)

Establishment Order (G.O) No. 15/2023 (Administrative Officer)

दिनांक 27 जुलाई 2023 / Dated 27th July 2023

कार्यकारी सहायक के संवर्ग से प्रशासनिक अधिकारियों के संवर्ग में, पदोन्नती के संबंध में, अपर आयुक्त, केन्द्रीय कर के प्रधान आयुक्त कार्यालय (सं.नि.प्रा.), हैदराबाद जीएसटी आयुक्तालय द्वारा जारी स्थापना आदेश (रा.प.) सं. 95/2023 दिनांक 26.07.2023 जारी होने और विशाखापट्टणम सीजीएसटी जोन में आवंटन होने पर, केन्द्रीय कर के प्रशासनिक अधिकारियों के संवर्ग में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक आदेश तक, निम्न पदस्थापन के आदेश दिए जाते हैं।

Consequent upon promotion from the cadre of Executive Assistant to Administrative Officer vide EO(GO)No.95/2023 dated 26.07.2023 issued by the Additional Commissioner of Central Tax (CCA), Hyderabad GST Commissionerate and on allotment to Visakhapatnam Zone, the following postings and transfers in the cadre of Administrative officer of Central Tax are ordered with immediate effect and until further orders:-

क्र सं Sl No.	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमति) Name of the officer (Shri /Smt)	तैनाती स्थान Present place of posting	तैनात किया गया आयुक्तालय Commissionerate posted to
1.	गोली रवि कुमार Goli Ravi Kumar	आवंटन पर On allotment	गुंटूर सी जी एस टी Guntur CGST
2.	बी. शंकर राव B.Sankara Rao	आवंटन पर On allotment	विशाखपट्टणम सी जी एस टी Visakhapatnam CGST
3.	अशोक कुमार प्रधान Ashok Kumar Pradhan	आवंटन पर On allotment	विशाखपट्टणम सी जी एस टी Visakhapatnam CGST

2. पूर्वाह्न 27.07.2023 को मुख्य आयुक्त कार्यालय (वि.क्षे) में कार्यग्रहण करने वाले सं. क्र. 2 और 3 पर उल्लेखित अधिकारियों को अपने नए पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने के लिए दिनांक 27.07.2023 के अपराह्न में कार्यमुक्त किया जाता है। क्रम संख्या 1 के अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने तैनाती स्थान पर रिपोर्ट करें।

Officers at Sl No.2 and 3 who have reported in Chief Commissioner's Office in the forenoon of 27.07.2023 stand relieved in the afternoon of today i.e 27.07.2023 to enable them report at their new place of posting. Officer at Sl.No.1 is directed to report at his place of posting.

3. अपर आयुक्त केन्द्रीय कर, हैदराबाद सीजीएसटी आयुक्तालय (सीसीए), हैदराबाद द्वारा जारी स्थापना आदेश (राजपत्रित) सं 95/2023 दिनांक 26.07.2023 में अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहती हैं।

All other terms and conditions in EO (GO) No. 95/2023 dated 26.07.2023 issued by the Additional Commissioner of Central Tax, Hyderabad CGST Commissionerate (CCA), Hyderabad remain unaltered.

M. Sankar 27/7/2023

4. संबंधित दस्तावेजों में आवश्यक प्रविष्टियाँ की जाए। Necessary entries may be made in relevant records.
5. किसी भी अस्पष्टता के मामले में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। In case of any ambiguity English version will prevail.
6. यह मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय कर, विशाखापट्टणम जोन के अनुमोदन से जारी किया जाता है। This issues with the approval of Chief Commissioner of Customs and Central Tax, Visakhapatnam Zone.

(एम. श्रीकान्त / M Sreekanth)

अपर आयुक्त / Additional Commissioner

[Issued from file GCCO/II/(3)/112/2023-ESTT-O/o CC-CGST-ZONE-VISAKHAPATNAM]

सेवा में

संबंधित व्यक्तियों को।

To

The Individual officers

प्रतिलिपि:

1. प्रधान आयुक्त / आयुक्त, केंद्रीय कर, विशाखपट्टणम जीएसटी / गुंटूर जीएसटी / हैदराबाद (संनिप्रा)।
2. मुख्य लेखा अधिकारी / आहरण व संवितरण अधिकारी, विशाखपट्टणम / गुंटूर।
3. वेतन एवं लेखा अधिकारी, विशाखपट्टणम / गुंटूर।
4. सूचना पट / वेबसाइट / स्टॉक फाइल।

Copy to:

1. The Principal Commissioner / Commissioner of Central Tax, Visakhapatnam CGST / Guntur CGST / Hyderabad (CCA).
2. CAO/DDO of Visakhapatnam/Guntur CGST.
3. PAO of Visakhapatnam/Guntur CGST.
4. Notice Board/website/Stock file.